ACR section letter 1

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाए
2 ,जल पथ, गाँधी नगर
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :एफ 12( )APAR /ICDS / 2017 115445 जयपुर, दिनांक 22-6-18

परिपत्र

विभाग आदेश क्रमांक F 12 (1) गो.प्र.पव / म.बा.वि. / 88 / 79853 दिनांक 09.11.2010 के अनुसार विभाग में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों का चैनल निम्नानुसार तय किया गया है जिसमें वर्ष 2010–11 से निरन्तर बकाया एपीआर निर्धारित चैनल के अनुसार भरवाकर भिजवायें:–

समेकित बाल विकास सेवाएं।

गतिविधि	वर्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का चैनल							
वर्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन	अधिकारी / कर्मचारी	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता	अधिकारी / कर्मचारी	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता
जिला परिषद् स्तर पर	**उप निदेशक**	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं	संबधित शासन सचिव पैतृक विभाग	**अन्य स्टाफ(म.प. मत्रांलयिक सवंर्ग आदि)**	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाए
पंचायत समिति स्तर पर	**सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी**	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं	**अन्य स्टाफ(म.प. ,मत्रांलयिक सवंर्ग आदि)**	बाल विकास परियोजना अधिकारी	उप निदेशक	निदेशक समेकित बाल विकास सवाए
केवल शहरी परियोजना के लिए	**सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी**	उप निदेशक	अति निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं	**अन्य स्टाफ(म.प. ,मत्रांलयिक सवंर्ग आदि)**	बाल विकास परियोजना अधिकारी	उप निदेशक	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में निम्न प्रकार से प्रस्तुत करना निश्चित किया हुआ है:–

क्र.सं	वितरण	भिजवाने की तिथि
1.	अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन अधिकारी को प्रतिवेदन के प्रथम भाग की पूर्ति।	30 अप्रैल तक
2.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी।	31 मई तक
3.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	15 जून तक
4.	समीक्षक अधिकारी द्वारा विभाग को उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	30 जून तक

उक्त वर्णित तिथियों में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों / अधिकारीयों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति कर समीक्षक अधिकारी, को निश्चित अवधि में भिजवायेगे। आपकी एपीएआर की समीक्षा आपकी अधीनस्थ कर्मचारियों के समस्त एपीएआर प्राप्त होने पर ही की जाऐगी।

प्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की जॉच करने पर निम्नाकिंत त्रुटिया / कमियॉ पाई जाती है, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:–

1. प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया जाता एवं धारिता पद की मोहर व प्रतिवेदन भरने की दिनांक अंकित नही की जाती है।
2. समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया जाता एवं धारिता पद की मोहर व प्रतिवेदन भरने की दिनांक अंकित नही की जाती है
3. कई बार प्रतिवेदक अधिकारी समीक्षक अधिकारी के लिये निर्धारित स्थान भाग तृतीया में अपनी टिप्पणी अंकित कर देते है जो उचित नही है।
4. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भाग 1 से 5 तक सभी कॉलम पूर्ण भरने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशालय में भिजवाये जावें एवं सभी राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल संपंति का विवरण राज–काज में ऑनलाइन भरना सुनिश्चित करें।
5. यदि प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी सेवानिवृत/निधन हुए तो तत्सम्बंधी पत्र वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में सेवानिवृत/ निधन अधिकारी का नाम तथा सेवानिवृत/निधन अधिकारी की दिनांक वर्तमान अधिकारी द्वारा अंकित(प्रमाणित) कर भिजवाये जायें।
6. प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन की गई सेवा अवधि का कालम रिक्त/अपूर्ण होना।
7. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी/ अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन समीक्षा हेतु समीक्षक अधिकारी को अग्रेसित की जाती है तद्उपरांत संबंधित पत्र की प्रतिलिपी निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार सामयिक कार्यवाही प्राथमिक देकर हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए।

निदेशक
समेकित बाल विकाससेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 12( )APAR /ICDS / 2017 115446–783 जयपुर, 22-6-18
दिनांक

प्रतिलिपी:– निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है:–
1. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं।
3. एसीपी मुख्यालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक
समेकित बाल विकाससेवाएं
राजस्थान, जयपुर